

उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग-4

संख्या- 4/2022/19/सामान्य/का-4- 2022/303/2020

लखनऊः दिनांकः 12 फरवरी, 2022

कार्यालय- ज्ञाप

विषय:- सरकारी कार्यालयों में कोरोना संक्रमण (कोविड-19) के संबंध में कार्य की व्यवस्था।

कोविड मामलों में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में कमी और सुधार में सकारात्मकता दर को देखते हुए उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण (कोविड-19) की रोकथाम के संबंध में राज्य सरकार के स्तर से पूर्व में निर्गत प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालयों में प्रत्येक कार्य दिवस में समूह- 'ख', समूह- 'ग' एवं समूह 'घ' के स्वीकृत पदों के सापेक्ष 50 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति तथा साप्ताहिक रोस्टर संबंधी कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2022/03/सामान्य/का-4-2022, दिनांक 13 जनवरी, 2022 एवं शारीरिक रूप से दिव्यांग कार्मिकों एवं गर्भवती महिलाओं को घर से कार्य सम्पादित करने संबंधी कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2022/16/संघ/का-4-2022/303/2020, दिनांक 25 जनवरी, 2022 को अवक्रमित करते हुये निम्नवत व्यवस्था की जाती है:-

- (1) प्रदेश सरकार के सभी कार्यालय दिनांक 14.02.2022 से 100 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति के साथ खुलेंगे, किन्तु संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत यह अपेक्षित है कि कार्यालयों में भीड़भाड़ न हो, समस्त कार्यालय स्टाफ प्रश्नगत कार्यालयों में सेनिटाईजेशन, फेस मास्क, फेस कवर, सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य सुरक्षात्मक उपायों का पूरा ध्यान रखेंगे।
- (2) अधीनस्थ कार्यालयों, स्थानीय निकायों, निगमों, आदि के लिये भी इसी प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय ।
- (3) संक्रमण से प्रभावित क्षेत्रों (हॉट स्पॉट एरियाज) में कार्यालय को बंद किये जाने अथवा उनमें उपस्थिति के संबंध में जिला प्रशासन के स्तर से निर्णय लिया जायेगा ।

दुर्गा शंकर मिश्र
मुख्य सचिव

संख्या-4/2022/19/(1)/सामान्य/का-4-2022/303/2020 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, विधान सभा एवं विधान परिषद, उत्तर प्रदेश ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष/ मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
4. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,

डा० देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस प्रकार हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।